

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ (20)आकाशि/पॉलिसी/नि.सं./2018/ 162

दिनांक :- 31/5/2019

आदेश

सत्र 2019-20 में निजी संस्थाओं द्वारा विभिन्न प्रकरणों यथा- नवीन महाविद्यालय स्थापित करने/पूर्व संचालित महाविद्यालय द्वारा टीएनओसी अभिवृद्धि/पीएनओसी/स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय/स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन के लिए किये गए आवेदनों के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा एनओसी जारी करने हेतु निम्नानुसार कैलेण्डर निर्धारित किया जाता है:-

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
1.	नवीन निजी महाविद्यालय हेतु प्रथम टीएनओसी जारी करने की अन्तिम तिथि	01 जुलाई 2019
2.	पूर्व संचालित महाविद्यालय हेतु स्नातक स्तर पर नवीन संकाय/विषय तथा स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन/स्नातकोत्तर नवीन विषय हेतु एनओसी जारी करने की अन्तिम तिथि	31 जुलाई 2019

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(प्रदीप कुमार-बोरड, IAS)

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग,
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, मंत्री उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव उच्च शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
4. वेबसाइट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।

संयुक्त निदेशक, (नि.सं.)
कॉलेज शिक्षा, जयपुर